भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2411

03 दिसंबर, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: तेलंगाना में किसानों की आत्महत्या

2411. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डीः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि तेलंगाना राज्य में किसान आत्महत्या की दर अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान, वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी घटनाओं में कमी सुनिश्चित करने और किसानों की आय में सुधार के लिए चल रही वर्तमान सामान्य योजनाओं के अतिरिक्त तेलंगाना के किसानों के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इस हेतु विगत पांच वर्षों में वर्ष-वार कोई विशेष निधि आवंटित की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख): गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) 'भारत में दुर्घटनावश मृत्यु तथा आत्महत्या' (एडीएसआई) नामक अपने प्रकाशन में आत्महत्याओं पर सूचनाओं का संकलन तथा प्रसार करता है। आत्महत्याओं पर वर्ष 2016 तक की रिपोर्टें इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वर्ष 2014,2015 और 2016 की एडीएसआई रिपोर्टों के अनुसार महाराष्ट्र राज्य सहित किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं का राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** पर संलग्न है। वर्ष 2017 से बाद की रिपोर्टें प्रकाशित नहीं की गई हैं।

(ग) से (च) कृषि राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकारें इस क्षेत्र के विकास के लिए कार्यक्रमों/योजनाओं का कार्यान्वयन करती हैं। भारत सरकार विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में भी मदद करती है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम उत्पादन बढ़ाकर और किसानों के लिए लाभकारी रिटर्न के द्वारा किसानों के कल्याण के लिए हैं। किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों की सूची **अनुबंध-II** पर है। भारत सरकार के ये सभी कार्य देश के किसानों के कल्याण के लिए हैं।

सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक कार्यनीति की सिफारिश करने हेतु एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया था। डीएफआई समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है तथा इसके पश्चात सरकार ने डीएफआई कार्यनीति की सिफारिश के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए दिनांक 23.01.2019 को अधिकार प्राप्त निकाय का गठन किया है।

लो.स.अता.प्र.सं. 2411

अनुबंध-I

वर्ष 2014-2016 के लिए महाराष्ट्र राज्य सहित किसानों की आत्महत्या का राज्यवार और वर्षवार विवरण

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2014**	**2015**	**2016**
1	आंध्र प्रदेश	160	516	239
2	अरुणाचल प्रदेश	0	7	6
3	असम	21	84	6
4	बिहार	0	0	0
5	छत्तीसगढ	443	854	585
6	गोवा	0	0	0
7	गुजरात	45	57	30
8	हरियाणा	14	28	0
9	हिमाचल प्रदेश	32	0	0
10	जम्मू एंव कश्मीर	12	0	0
11	झारखंड	0	0	3
12	कर्नाटक	321	1197	1212
13	केरल	107	3	23
14	मध्य प्रदेश	826	581	599
15	महाराष्ट्र	2568	3030	2550
16	मणिपुर	0	1	1
17	मेघालय	0	2	2
18	मिजोरम	0	0	0
19	नागालैंड	0	0	0
20	ओडिशा	5	23	20
21	पंजाब	24	100	232
22	राजस्थान	0	3	4
23	सिक्किम	35	15	12
24	तमिलनाडु	68	2	36
25	तेलंगाना	898	1358	632
26	त्रिपुरा	0	1	4
27	उत्तर प्रदेश	63	145	69
28	उत्तराखंड	0	0	0
29	पश्चिम बंगाल	0	0	0
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	8	0	3
31	चंडीगढ़	0	0	0
32	दादर एवं नगर हवेली	0	0	0
33	दमन और दीव	0	0	0
34	दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0
36	पुडुचेरी	0	0	2
	कुल (अखिल भारत)	**5650**	**8007**	**6270**

स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए 'भारत में दुर्घटनावश मृत्यु तथा आत्महत्या' पर राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट

लो.स.अता.प्र.सं. 2411

अनुबंध-II

किसानों के लाभ के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कार्य

सरकार की कार्यनीति कृषि को व्यवहार्य बनाकर किसानों का कल्याण करने पर केंद्रित है। कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की योजनाएं विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करने पर केंद्रित हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के वितरण की अग्रणी योजना का कार्यान्वयन करना ताकि उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

ii. 'प्रति बूंद अधिक फसल पहल" जिसके तहत जल के ईष्टतम उपयोग के लिए तथा इनपुट की लागत को कम करने तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

iii. "परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)" जिसके अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।

iv. किसानों को इलेक्ट्रॉनिक पारदर्शी व प्रतिस्पर्द्धात्मक ऑनलाइन व्यापार मंच उपलब्ध कराने के लिए ई-नाम की शुरूआत की गई है।

v. जोखिम शमन के लिए फसलों को बेहतर बीमा कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से खरीफ, 2016 मौसम से फसल बीमा योजना नामत: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की शुरूआत की गई। यह योजना विशिष्ट स्थितियों में फसलोपरांत जोखिमों सहित फसल चक्र के सभी चरणों के लिए बीमा कवर प्रदान करती है और किसानों को बहुत कम प्रीमियम अंशदान देना पड़ता है।

vi. ''हर मेढ़ पर पेड़" के अंतर्गत अतिरिक्त आय के लिए कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन होने के साथ ही बांस को वृक्षों की परिभाषा से हटा दिया गया। वर्ष 2018 में पुनर्संरचित राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरूआत की गई है ताकि गैर-वन्य सरकारी एवं साथ ही निजी भूमि पर बांस रोपण को बढ़ावा दिया जा सके और मूल्य संवर्धन, उत्पाद विकास और बाजारों पर बल दिया जा सके।

vii. किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार ने 2018-19 मौसम के लिए सभी खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन की लागत से कम से कम 150 प्रतिशत तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।

viii. किसान अनुकूल कार्यकलापों को गति प्रदान करने के लिए सरकार ने एक नई अम्ब्रेला योजना "प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)" का अनुमोदन किया है। इस योजना का उद्देश्य केंद्रीय बजट, 2018 में की गई घोषणा के अनुसार किसानों को उन की उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। किसानों की आय को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाया गया यह एक अभूतपूर्व कदम है और यह किसानों के कल्याण के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

ix. मधुमक्खी पालन कार्यक्रम को परागण के जरिए फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में शहद के उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयोजनार्थ समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है।

x. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ किसानों को अधिक से अधिक संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। सरकार 3 लाख रूपए के अल्पावधि फसल ऋण पर किसानों को ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट देती है। इस समय किसानों को प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध है जो शीघ्र अदायगी पर 4 प्रतिशत कम हो जाता है।

xi. सरकार ने कृषि क्षेत्र की ओर ऋण के प्रवाह के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया है, बैंकों की उपलब्धि लगातार वार्षिक लक्ष्य से अधिक रही है। वर्तमान वर्ष का कृषि ऋण प्रवाह लक्ष्य 13.50 लाख करोड़ रूपये निर्धारित किया गया है।

xii. इसके अलावा, ब्याज छूट स्कीम वर्ष 2018-19 के तहत प्राकृतिक आपदा होने पर किसानों को राहत दिए जाने के लिए पुनर्संरचित राशि पर एक वर्ष के लिए बैंकों को ब्याज पर 2 प्रतिशत छूट देने की व्यवस्था जारी रहेगी। किसानों द्वारा अपने उत्पादों को मजबूरी में बेचने से रोकने और पराक्रम्य रसीदों पर गोदामों में अपने उत्पादों को भंडारित करने संबंधी बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ किसान क्रेडिट कार्ड धारक छोटे एवं सीमांत किसानों को अगले 6 माह की अवधि हेतु इसी दर पर फसलोपरांत ऋण उपलब्ध होंगे।

xiii. सरकार ने पशुपालन और मात्स्यिकी से संबंधित कार्यकलाप करने वाले किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देने का अनुमोदन किया है और ऐसी श्रेणियों के किसानों को भी ब्याज छूट सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है।

xiv. देश भर के सभी किसानों को आय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने एक नई केन्द्रीय क्षेत्रक योजना यथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) शुरू की है ताकि उन्हें अपनी घरेलू जरूरतों के साथ-साथ कृषि और संबद्ध कार्यकलापों से संबंधित खर्चों को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके। इस योजना का लक्ष्य उच्च आय वर्ग से संबंधित कतिपय अपवर्जनों के अध्यधीन किसानों को चार माह के अंतराल पर 2000 रुपये की तीन किस्तों में 6,000 रुपए प्रति वर्ष का भुगतान करना है।

xv. सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा चक्र प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ इन किसानों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने के लिए एक अन्य नई केन्द्रीय क्षेत्रक योजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है क्योंकि उनके पास ऐसी कोई बचत नहीं होती है कि वे अपनी आजिविका का साधन समाप्त होने पर वृद्धावस्था में अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। इस स्कीम के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पात्र लघु और सीमांत किसानों को कतिपय अपवर्जनों के अध्यधीन 3 हजार रूपए की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

****